

प्रपत्र-30**Form-I****(For linear projects)****Government of uttarakhand****Office of the District collector- Rudraprayag**

No...106..

Dated...19/11/15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (1.451) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Ukhimath, Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Naagjagai Phegu Barmwadi Motor Road. in Rudraprayag - district falls within jurisdiction of Phegu Barmuwadi, Timriya, villages in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (1.451) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sahha(s) Sub-Division Level Commtee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and annexure 23.3.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

Encl As above.

Raghar
 दिवा अधिकारी

(Dr. Raghar Langar)
District Magistrate
Rudraprayag

प्रपत्र-30.1

ANNEXUR-23.3

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of forest rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar (I.A.S) District Magistrate Rudraprayag on date ..19.11.2015.... at time ..2.00 P.M. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.451 hect for Transfer of Naagjagai Phegu Barmwadi Motor Road. of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:..19.11.15


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जुगासू मोटर मार्ग से बुरवा मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू- बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु 1.451 है। वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं. 11-9/98-एफ.सी., दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ.एफ.सी., केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित राज्य वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी.- ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण- प्रत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, - ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु राज्य भूमि 1451 है० अर्थात् कुल (1451) है० वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील -ऊखीमठ) की दिनांक 11/10/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री-उत्तामसिंह चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1- श्री- <u>उत्तामसिंह चौहान</u> | उपजिलाधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री- <u>रोहन लाल</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>रुद्रप्रयाग</u> | सदस्य |
| 3- श्री- <u>संजीव पाण्डे</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री- <u>सुमन लिवारी</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | <u>फेगू</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना हेतु (1451) है० राज्य वन भूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं

तत्सम्बन्धी नियम 2008 को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड - ऊखीमठ परिक्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू- बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु (1.4.5।) हे० राज्य वनभूमि का लो०नि०वि० को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1. उप प्रजापति वन अधिकारी
उप प्रजापति वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

2. सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

3. बी.डी.सी. सदस्य- सुमन्त तिवारी
सुमन्त तिवारी
सदस्य क्षेत्र पंचायत पौगु
विप्लव जनसंलग्नी (रुद्रप्रयाग)

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

No. R-32/ST-विविध/2015 dt 11/10/2015
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - लेरिया

तहसील - बहुबुल, जिला - रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु राज्य भूमि 1.451 है। अर्थात् कुल 1.451 है। वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत, लेरिया द्वारा दिनांक 8/05/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लेरिया वलापला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

दिनांक- 8-08- /2017 को ग्राम / सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - टेमरिया

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	श्री नागदत्त सेमवाल	Hanul
2	श्री रामेश्वरदत्त सेमवाल	रामेश्वर
3	श्री माथाराम सेमवाल	माथाराम
4	श्री शिवानन्द सेमवाल संपन्न वन पंचायत	12/8/17 दे
5	श्री विशालभरणी सेमवाल	विशालभरणी
6	श्री कहुदेव सेमवाल	कहुदेव
7	श्री सुदर्शन सेमवाल	सुदर्शन
8	श्री सन्तोष सेमवाल	सन्तोष
9	श्री सत्यानन्द सेमवाल	सत्यानन्द
10	श्रीमती वज्रती क. अपरदेव	वज्रती

ग्राम प्रधान
टेमरिया

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मोटरमार्ग का नाम- नाग/जगई - फेरु पुष्पाई मोटर मार्ग विस्तार सेतु छहिट

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
लो0नि0वि0 गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

महोदय,

उपरोक्त मोटरमार्ग पर पड़ने वाली समस्त नाप भूमि ग्राम टेमरिया वल्ला (राजस्व ग्राम) ग्राम टेमरिया पल्ला (पोखरी) की पड़ती है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार मार्ग निर्माण में पड़ने वाली समस्त भूमि उपरोक्त दोनों ग्राम के ग्रामवासी आपसी सहमति से देने को तैयार हैं। मोटरमार्ग निर्माण से हम ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। विभागीय सर्वेक्षण/समरेखण से हम सब ग्रामवासी सहमत हैं।

अतः हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अपनी-अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना किसी दबाव के, बिना किसी बहकावे अपने स्वस्थ मन से दे रहे हैं।

(शुभकामनाओं सहित सादर)

हस्ताक्षर समस्तग्रामवासी टेमरिया वल्ला-पल्ला

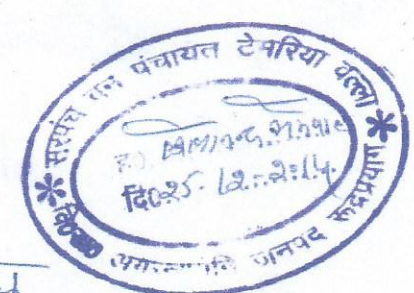
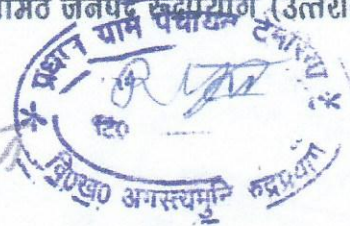
भवदीय

समस्त ग्रामवासी एवं प्रधान/सरपंच

वनपंचायत/अध्यक्ष महिला मंगलदल ग्राम पंचायत टेमरिया
विशालमली जेमवाल तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

- 1- सुशीला देवी
- 2- सुशीला देवी
- 3- शिवानन्द केमवाल
- 4- महेन्द्र दत्त
- 5- रामचन्द्र देवा
- 6- सुलेका
- 7- सुलेका

शिवानन्द केमवाल
विशालमली जेमवाल
रघुवर दत्त केमवाल
सर्वेन्द्र दत्त केमवाल
विजय प्रकाश सिंहवाल



महेश्वर

रामचन्द्र देवा